

आपके रेट और सरकारी किराया



Rating and Valuation Department

यह पुस्तिका हांग कांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रेंटिंग और सरकारी किराया प्रणालियों के लिए एक सरल मागदशिका है। इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और यह रेंटिंग अध्यादेश, सरकारी किराया (मूकन और संग्रह) अध्यादेश या किसी अन्य अध्यादेश के तहत रेंटिंग और मूकन आयु के अधिकारों और दायित्वों को नहीं बदलता है। इस पुस्तिका का उद्देश्य कानून की आधिकारिक प्रतिलिपि प्रदान करना नहीं है।

अपील से संबंधित प्रपत्रों को छोड़कर, पर्वत में उल्लिखित प्रपत्र, निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध हैं :

- ❖ विभाग का कार्यालय;
- ❖ जिला कार्यालयों के किसी भी गृह मामले के पूछताछ कदम;
- ❖ विभाग की वेबसाइट; या
- ❖ 2152 2152 पर विभाग की 24 घंटे की स्वचालित टेलीफोन पूछताछ सेवा की फ़ैसला सेवा।

संदेह की स्थिति में, कृपया विभाग से संपर्क करें:

**15th Floor, Cheung Sha Wan Government Offices
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon**

**24-घंटे सामा पूछताछ हॉटलाइन : 2152 0111
(“1823” द्वारा संभाल)**

फ़ैसला सं. : 2152 0123

वेबसाइट : www.rvd.gov.hk

ई-मेल : enquiries@rvd.gov.hk

हमारा पूछताछ काउंटर सोमवार से शुक्रवार (सावजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 8:15 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहता है।

**रेटिंग और मूकन विभाग
हांग कांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार
फरवरी 2024**

दर और सरकारी किराया

1 दर क्या है?

दर संपत्ति के कब्जे पर एक कर है, और संपत्ति के दर योग्य मूल्य के निम्न प्रतिशत (ओं) पर वसूल की जाती है। हांग कांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के सभी हिस्सों में संपत्तियां दरों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं।

2 सरकारी किराया क्या है?

इस पुस्तिका में उल्लिखित सरकारी किराया, सरकारी किराया (मूल्यांकन और संग्रहण) अध्यादेश (कैप. 515) के तहत देय सरकारी किराया है, जो निम्न प्रकार के भूमि पट्टों पर लागू होता है:

- (क) न्यू टेरिटरीज और न्यू कॉलून (बाउंड्री स्ट्रीट के उत्तर में) में भूमि पट्टे ;
- (ख) वह भूमि पट्टे जो 27 मई 1985 के बाद दिए गए हैं, या सरुद्ध किए गए हैं और फिर से दिए गए हैं; और
- (ग) गैर-नवीकरणीय पट्टे जो 27 मई 1985 को या उसके बाद पट्टे के विस्तार के माध्यम से समाप्त हो गए हैं, जो पट्टे पर दी गई भूमि के समय-समय पर दर योग्य मूल्य के 3% पर निर्धारित सरकारी किराए पर हैं।

सरकारी किराए की गणना पट्टे पर दी गई भूमि पर स्थित संपत्ति के दर योग्य मूल्य के 3% पर की जाती है और इसे दर योग्य मूल्य में किसी भी बाद के परिवर्तन के साथ समायोजित किया जाता है।

[जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हांग कांग द्वीप और कॉलून में कुछ संपत्तियां नवीकरणीय पट्टों (जैसे 75 वर्ष जो अन्य 75 वर्ष के लिए नवीकरणीय हैं) के तहत हैं और इन नवीकरणीय पट्टों की दूसरी अवधि के दौरान देय किराया सरकारी पट्टा अध्यादेश (कैप 40) के प्रावधानों द्वारा शासित है। देय किराया नवीनीकरण की तिथि पर संपत्ति के दर योग्य मूल्य के 3% पर निर्धारित किया जाता है। यह तब तक अपरिवर्तित रहेगा जब तक कि संपत्ति का

पुनर्विकास नहीं हो जाता है, जिस स्थिति में किराया नई इमारत के दर यो मू का 3% है।
वाषिक पुनर्मूल्यांकन से भुगतान किए जा रहे किराए की राशि प्रभावित नहीं होगी।]

3 दरों और सरकारी किराए का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

मालिक और अधिभोगी दोनों ही, दरों के भुगतान के लिए उत्तरदायी ह। वहार में, यह संपत्ति के मालिक और अधिभोगी के बीच समझौते की शर्त पर निर्भर करेगा। इसके विपरीत किसी भी समझौते की अनुपस्थिति में, दरों का दायित्व अधिभोगी पर रहता है।

दूसरी ओर, सरकार संपत्ति के मालिक या दरदाता से सरकारी किराया मांग सकती है। यदि सरकारी किराया देने वाला व्यक्ति मालिक नहीं है, तो वह मालिक से भुगतान किए गए किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है या किसी भी देय राशि के विधि भुगतान की गई राशि की भरपाई कर सकता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट समझौता न हो।

भुगतानकर्ता के नाम और/या पते में परिवर्तन की स्थिति में, आयुक्त को यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए।

जब कोई संपत्ति बेची जाती है, तो विक्रेता और क्रेता को उस तिमाही के लिए दरों और सरकारी किराए का अपना-अपना हिस्सा आपस में तय कर लेना चाहिए, जिसके दौरान लेन-देन होता है।

4 दर और सरकारी किराया वसूलने का आधार क्या है?

दर संपत्ति के दर यो मू के निम्न प्रतिशत (ओं) पर ली जाती है। दर प्रतिशत शुद्ध विधान परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जहां सरकारी जल से ताजे पानी की आपूर्ति नहीं होती है या जहां पानी की आपूर्ति बिना फिल्टर की जाती है, वहां देय दरों की राशि एक प्रतिशत से कम हो जाती है, जिसे विधान परिषद द्वारा भी निर्धारित किया जाता है।

इस पुस्तिका में प्रविष्ट वतमान दरों के शु और बिना या बिना फ़िर किए गए पानी की आपूर्ति के कारण होने वाली कटौती को दर्शाती है।

यदि देय है, तो सरकारी किराया संपत्ति के वतमान दर यो मू का 3% लिया जाता है।

5 *दरों और सरकारी किराए का भुगतान कितनी बार करना होता है?*

दरों और सरकारी किराए का भुगतान तिमाही आधार पर अग्रिम रूप से किया जाता है। भुगतानकर्ताओं को आम तौर पर प्रत्येक तिमाही की शु आत में त्रैमासिक "दरों और/या सरकारी किराए की मांग" (मांग) प्राप्त होगी और मांग पर दिखाए गए अनुसार "भुगतान के अंतिम दिन" तक मांग का निपटान करना होगा। "भुगतान के लिए अंतिम दिन" आम तौर पर प्रत्येक तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन पड़ता है, अर्थात् जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर (शनिवार, रविवार और सावजनिक अवकाश को छोड़कर)।

दरों और सरकारी किराए का भुगतान मांग पर दर्शाए गए किसी भी तरीके से किया जा सकता है।

जहां दर और सरकारी किराया "भुगतान के लिए अंतिम दिन" तक नहीं चुकाया जाता है, आयु देय राशि पर 5% का अधिभार जोड़ सकता है और यदि मूल देय तिथि से 6 महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सभी बकाया राशि पर 10% का अतिरिक्त अधिभार लगाया जा सकता है।

6 *यदि संपत्ति को कुछ सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं तो क्या दर और सरकारी किराया कम हो जाता है?*

नहीं। सेवाओं की कमी आम तौर पर भुगतान किए जा रहे किराए और इसलिए संपत्ति के दर यो मूल में परिलक्षित होनी चाहिए। हालाँकि, ऐसी संपत्ति के लिए रियायत है जहाँ सरकारी जल आपूर्ति नहीं है या जहाँ आपूर्ति अनफ़िड है।

7

यदि दर और सरकारी किराया किसी अनधिकृत संरचना पर लगाया जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे अधिकृत किया गया है?

नहीं। अनधिकृत संरचनाओं वाली किसी भी संपत्ति के संबंध में दरों और/या सरकारी किराए का मूल्यांकन और/या भुगतान यह नहीं दशाता है कि इन संरचनाओं को कानूनी दजा प्राप्त है, न ही यह उन्हें कोई कानूनी मंजूरी या प्राधिकरण प्रदान करता है। न ही यह पट्टे को लागू करने या जमाने करने या पट्टे के उल्लंघन के लिए कोई अतिकारवाई करने के सरकार के अधिकार की कोई छूट देता है।

8

अगर मेरी संपत्ति खाली है तो क्या मैं रिफंड प्राप्त कर सकता/सकती हूँ ?

नहीं। खाली संपत्तियों के लिए दरों की वापसी की अनुमति नहीं है जब तक कि वे सरकार द्वारा जारी किए गए न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप खाली न हो जाएं। खाली खुली भूमि के लिए भी रिफंड की अनुमति है, बशत कि इसे अंतिम बार उपयोग में नहीं लाया गया हो और न ही इसका उपयोग मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाना है।

बाद के मामले में, खाली अवधि की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर लिखित में सूचना दी जानी चाहिए जिसके लिए रिफंड का दावा करने का इरादा है या, यदि खुली भूमि का नए सिरे से मूल्यांकन किया गया है, तो दरों की पहली मांग के भुगतान की अंतिम तिथि से बाद में नहीं।

अगर संपत्ति खाली है तो किसी भी परिस्थिति में सरकारी किराए की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

9 दर यो मू क्या है?

किसी संपत्ति का दर-यो मूल्य, जैसा कि दरों और/या सरकारी किराए की तिमाही मांग पर दिखाया गया है, खुले बाजार में उसके वार्षिक किराये के मूल्य का एक अनुमान है, जैसा कि निर्धारित मूल्यंकन संदर्भ तिथि पर है, यह मानते हैं कि संपत्ति खाली है और किराए पर दी जा रही है (मूल्यंकन संदर्भ तिथि के लिए, इस पुस्तिका में प्रविष्टि देखें)। संपत्ति के दर-यो मूल्य का आकलन करते समय न तो बिक्री या किराए पर देने पर प्रतिबंध (जैसे कि गृह स्वामि योजना फ्लैटों पर लागू होते हैं) और न ही दर-भुगतानकता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। संपत्ति का दर-योग्य मूल्य एक ही है, चाहे वह मालिक के कब्जे में हो या किराए पर दी गई हो।

यदि कोई संपत्ति किराए पर दी जाती है, तो उसका दर-यो मूल्य आवक रूप से किराए के समान नहीं हो सकता है, क्योंकि किराए के स्तर को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे कि किराए की आरंभ तिथि और किरायेदारी समझौते की शर्तें। इलाके में समान संपत्तियों के लिए मूल्यंकन संदर्भ तिथि पर या उसके आसपास सहमत खुले बाजार किराए को ध्यान में रखा जाता है, और आकार, स्थान, सुविधाओं, फिनिश और प्रबंधन के मानकों आदि में किसी भी अंतर को दशाने के लिए समायोजन किए जाते हैं। इसके अलावा, संपत्ति की कीमत में परिवर्तन दर योग्य मूल्य के स्तर को प्रभावित नहीं करते हैं।

आमतौर पर, सरकारी किराए के उद्देश्यों के लिए दर यो मूल्य दरों के लिए लागू होने वाले मूल्य के समान होता है यदि संपत्ति पूरी तरह से दरों और सरकारी किराए दोनों के अधीन है। हालाँकि, एक अलग दर यो मूल्य निर्धारित किया जाएगा यदि संपत्ति केवल आंशिक रूप से सरकारी किराए के अधीन है (या केवल आंशिक रूप से दरों के अधीन है)।

नवनिमित्त संपत्तियाँ

10 मेरी संपत्ति का मूल्यांकन कब किया जाएगा?

एक नवनिमित्त संपत्ति या कोई भी संपत्ति जो पहले से ही मूल्यांकन सूची और/या लागू सरकारी किराया रोल में शामिल नहीं है, उसका आमतौर पर "अंतरिम मूल्यांकन" के माध्यम से दरों और/या सरकारी किराए के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। भुगतानकता को अंतरिम मूल्यांकन की सूचना (Form R6/R6A) के माध्यम से ऐसे किसी भी मूल्यांकन के बारे में सूचित किया जाता है।

जहाँ संरचनात्मक परिवर्तन और परिवर्धन होते हैं जो संपत्ति के किराये के मूल्य को प्रभावित करते हैं, वहाँ संपत्ति के मूल्यांकन में मौजूदा दर-यो मूल्य को हटाकर और परिवर्तित संपत्ति का अंतरिम मूल्यांकन करके परिवर्तन किया जाएगा।

इस विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों में भुगतानकताओं को उनकी नवनिमित्त संपत्तियों के दर-यो मूल्यों की सूचना दरों और/या सरकारी किराए के पहली बार देय होने की तिथि से 8 महीने के भीतर देना है। यदि 8 महीने बीत जाने के बाद ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो भुगतानकता जिले के लिए जिम्मेदार मूल्यांकन अधिकारी से संपक कर सकते हैं।

11 क्या मैं मूल्यांकन पर आपत्ति कर सकता हूँ?

यदि कोई स्वामी या अधिभोगी यह समझता है कि संपत्ति का दर-यो मूल्य गलत है, या संपत्ति दरों और/या सरकारी किराए के मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है, तो वह अंतरिम मूल्यांकन पर आपत्ति कर सकता है।

आप अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए उस जिले के लिए जिम्मेदार मूल्यांकन अधिकारी से संपक कर सकते हैं जिसमें संपत्ति स्थित है।

यदि मूल्यांकन अधिकारी से मामले पर चर्चा करने के बाद भी आप मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अंतरिम मूल्यांकन पर आपत्ति के नोटिस (Form R23A) पर औपचारिक

आप ि दज करा सकते ह। ऐसी आपत्ति, अंतरिम मू ंकन की सूचना की सेवा के बाद **28 दिनों** के भीतर व्यक्ति सेवा, डाक द्वारा या विभाग की वेबसाइट पर उपल कराए गए "फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति" सेवा के माध्यम से Form e-R23A जमा करके आयोग के पास दज कराई जानी चाहिए। **। आयु के पास देर से आपत्तियों को स्वीकार करने का विवेकाधिकार नहीं है।** फ़ै द्वारा सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी।

जहां कोई आप ि दज की जाती है, विभाग के एक पेशेवर अधिकारी द्वारा मामले की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी। विभाग तब नियय की सूचना जारी करेगा जो या तो मूल मू ंकन की पुि करेगा या यह बताएगा कि क्या परिवतन किया जाना है।

12 दर कब देय होती ह?

आम तौर पर, नवनिमित घरेलू संपत्तियों के लिए, प्रासंगिक दस्तावेजों के जारी होने से **90 दिनों** के भीतर दर देय होती ह: कब्जे की अनुमति, असाइन करने की सहमति, पे की सहमति या अनुपालन का प्रमाण प (जो भी लागू हो), पहले क े की तारीख पर ध्यान दिए बिना। नवनिमित गैर-घरेलू संपत्तियों के मामले म, दर उपरोक्त दस्तावेजों के जारी होने से **180 दिन** (जो भी लागू हो) या पहले कब्जे की तारीख से, जो भी पहले हो, देय हो जाती ह।

दरों के लिए नए मूल्यांकन की गई संपत्ति के लिए पहले मांग नोट म मूल्यांकन की प्रभावी तिथि से देय सभी दर शामिल होंगी, जैसा कि अंतरिम मू ंकन के नोटिस पर दिखाया गया है। रेटिंग अध्यादेश म निधारित अनुसार, पहला मांग नोट दरों के पहली बार देय होने की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि को कवर कर सकता है।

दरों का भुगतान मांग नोट पर दिखाए गए भुगतान के अंतिम दिन तक किया जाना चाहिए, और देर से भुगतान पर अधिभार लगेगा।

13 पुनमूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?

विभिन्न प्रकार की संपत्तियों और विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग राशियों द्वारा समय के साथ किराये के स्तर बदलते रहते हैं। दरों और सरकारी किराए के लिए देयता को उचित रूप से पुनर्वितरित करने के लिए दर यो मू को अद्यतित करने के लिए पुनमूल्यांकन आवश्यक है। पुनमूल्यांकन के बाद, दरों और सरकारी किराए को समायोजित किया जाएगा और संपत्तियों के किराये के स्तर में परिवर्तन की सीमा के आधार पर भिन्न हो सकता है।

पुनमूल्यांकन अब सालाना आयोजित किया जाता है ताकि दर यो मू मौजूदा बाजार किराए को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। वाषिक पुनमूल्यांकन यह भी सुनिश्चित करता है कि समान दरों का बोझ संपत्तियों के अद्यतित किराये के स्तर के अनुसार दरदाताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

पुनमूल्यांकन के बाद दर यो मू प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रभावी होंगे।

पुनर्मूल्यांकन के बाद नए दर योग्य मूल्यों पर आपत्तियाँ

14 अगर मुझे लगता है कि मेरी संपत्ति का दर यो मू गलत है तो मैं क्या कर सकता ?

पुनर्मूल्यांकन के बाद नया दर योग्य मूल्य प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी की गई दरों और/या सरकारी किराए की अप्रैल से जून तिमाही की मांग पर दिखाया जाता है। नए दर यो मूल्यों को दशाने वाली मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत से 31 मई तक सावजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल का निरीक्षण जनता द्वारा किस स्थान और समय पर किया जा सकता है, इसकी सूचना सरकारी राजपत्र और कुछ चीनी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। इस अवधि के दौरान मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल में प्रविष्टियों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन खोजा जा सकता है।

आप विभाग के पेशेवर कर्मचारियों के साथ नए दर यो मूल्य पर चर्चा कर सकते हैं। विभाग के कर्मचारी हमेशा यह समझाने के लिए तैयार रहते हैं कि मूल्यांकन कैसे किया गया है।

15 अगर मैं आपत्ति करना चाहता हूँ तो क्या मुझे कोई कदम उठाने की ज़रूरत है?

हाँ। अगर आप प्रस्तावित करते हैं कि दर यो मूल्य में बदलाव किया जाए तो आपको अपनी संपत्ति के दर यो मूल्य पर औपचारिक आपत्ति (एक "प्रस्ताव" के रूप में) करनी होगी। ऐसा कोई भी प्रस्ताव मार्च के अंत में नई मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल घोषित होने के बाद उस वर्ष के 31 मई तक किया जाना चाहिए जिसमें दर यो मूल्य प्रभावी होते हैं। रेटिंग अध्यादेश और सरकारी किराया (मूल्यांकन और संग्रह) अध्यादेश आयु को किसी भी समय पर दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं देते हैं।

अधिकांश संपत्तियाँ जो दरों और सरकारी किराए दोनों के अधीन हैं, उनकी मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल दोनों में समान प्रविष्टियाँ हैं। इन संपत्तियों के लिए, प्रस्ताव केवल रेटिंग मूल्यांकन के संबंध में बनाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव के परिणामस्वरूप दर यो मूल्य बदल जाता है, तो संशोधित दर यो मूल्य दरों और सरकारी किराए दोनों की

गणना पर लागू होगा। हालाँकि, यदि दरों और सरकारी किराए के लिए दर यो मू अलग-अलग ह, तो मू ंकन सूची और सरकारी किराया रोल दोनों म मू ंकन के संबंध म अलग-अलग प्रस्ताव बनाए जाने चाहिए।

16 म प्रस्ताव कैसे बनाऊँ?

आपको एक प्रस्ताव फ़ॉर्म, मू ंकन सूची या सरकारी किराया रोल (Form R20A) म परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पूरा करना होगा। विभाग को प्रस्ताव व्यक्तिगत सेवा, डाक द्वारा या विभाग की वेबसाइट पर प्रदान की गई "फ़ॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति" सेवा के माध्यम से Form e-R20A जमा करके दिया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि फ़ै द्वारा सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी।

17 कौन तय करेगा कि कब प्रस्ताव भेजा जाएगा कि प्रस्ताव देने के बाद मेरी संपत्ति का दर-यो मू बदला जाना चाहिए या नहीं?

विभाग के पेशेवर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। विभाग वर्ष के 1 दिसंबर से पहले नियम की सूचना जारी करेगा (यदि आवश्यक हो तो यह समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है), या तो आपको सलाह देगा कि कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, या आपको सलाह देगा कि क्या परिवर्तन किया जाना है।

अपील का अधिकार

18 यदि म विभाग के निणय से संतु नहीं ूतो क्या कू ?

आप भूमि ा याधिकरण म अपील कर सकते ह।

19 म अपील कैसे दज कू ?

आपको निणय की सूचना की सेवा के 28 दिनों के भीतर भूमि न्यायाधिकरण म अपील की सूचना दज करनी होगी। अपील दज करने पर भूमि न्यायाधिकरण को शु देय है।

अपील के संबंध म उपयोग किए जाने वाले प्रप तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर सलाह भूमि न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार से प्रा की जा सकती है:

Lands Tribunal Building
38 Gascoigne Road
Kowloon
दूरभाष सं.: 2771 3034

अपीलकता तथा आयु दोनों को अपने मामले के समथन म सा प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधिकरण के सम उपस्थित होने का अधिकार है। न्यायाधिकरण दर यो मू को बरकरार रख सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है तथा उसका निणय अंतिम होता है। कानून के किसी बिंदु पर उ न्यायालय के अपील न्यायालय म आगे अपील की जा सकती है।

20 *यदि म कोई आपत्ति या प्रस्ताव प्रस्तुत करता या अपील दायर करता, तो क्या म मामले के निपटारे तक दरों तथा सरकारी किराए का भुगतान रोक सकता ?*

आम तौर पर नहीं। दरों तथा सरकारी किराए का भुगतान आम तौर पर माँग के अनुसार किया जाना चाहिए, तथा देर से भुगतान पर अधिभार लगेगा। यदि किसी आपत्ति, प्रस्ताव या अपील के परिणामस्वरूप दर-यो मू म संशोधन किया जाता है, तो परिवर्तन उस तिथि से पूर्ववत् किया जाएगा जिस दिन दर-यो मू पहली बार प्रभावी होगा और दरों और सरकारी किराए म समायोजन बाद की मांगों म किया जाएगा। केवल ब त ही असाधारण परिस्थितियों म, आयु अपील के परिणाम तक दरों या सरकारी किराए के सभी या आंशिक भुगतान को निलंबित कर सकता है। दर और सरकारी किराया भुगतानकता विभाग से पूछताछ कर सकते ह यदि उन्ह लगता है कि भुगतान के निलंबन को उचित ठहराने वाली विशेष परिस्थितियाँ ह।

मूल्यांकन संदभ तिथि और दर तिथित प्रभार

किसी संपत्ति के दर योग्य मूल्य के निदि तिथित(ओं) पर दर भ रित की जाती ह। दर योग्य मूल्य संपत्ति के वार्षिक किराये मूल्य का एक अनुमान है और रेटिंग अध्यादेश के तहत निदि मूल्यांकन संदभ तिथि पर प्रचलित बाजार किराए के संदभ म निधार त किया जाता है। मूल्यांकन संदभ तिथि के बाद किराये के र म सामान्य परिवतन दर योग्य मूल्यों के निधारण म महत्वपूर्ण नहीं ह। इसके अलावा, संपत्ति की कीमतों म परिवतन दर योग्य मूल्य के आकलन को भावित नहीं करते ह। हाल के वर्षों म मूल्यांकन संदभ तिथि और दर तिथित प्रभार नीचे दिखाए गए ह:

वित्तीय वष	2022 – 2023	2023 – 2024	2024 – 2025								
मूल्यांकन संदभ तिथि	1 अू बर 2021	1 अू बर 2022	1 अू बर 2023								
दर प्रतिशत प्रभार	5%	5%	<ul style="list-style-type: none"> सभी गैर-घरेलू आवासों के लिए दर प्रतिशत प्रभार 5% पर रहेगा। घरेलू आवासों के लिए: <ul style="list-style-type: none"> (i) \$550,000 या उससे कम के दर यो मू वाले घरेलू आवासों के लिए, दर प्रतिशत शु 5% पर रहेगा। (ii) \$550,000 से अधिक के दर यो मू वाले घरेलू आवासों के लिए, 2024-25 की पहली से तीसरी तिमाही के लिए दर प्रतिशत शु 5% पर रहेगा। 2024-25 की चौथी तिमाही (यानी जनवरी से माच 2025) से दरों की गणना निम्नलिखित गतिशील दर शुल्क पैमाने के अनुसार की जाएगी*: <table border="1"> <thead> <tr> <th>घरेलू आवासों का दर यो मू</th> <th>दर ति थत शु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पहले \$550,000</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>अगले \$250,000</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>शेष</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table> 	घरेलू आवासों का दर यो मू	दर ति थत शु	पहले \$550,000	5%	अगले \$250,000	8%	शेष	12%
घरेलू आवासों का दर यो मू	दर ति थत शु										
पहले \$550,000	5%										
अगले \$250,000	8%										
शेष	12%										

*प्रोग्रेसिव रेटिंग प्रणाली का काया-व्यन प्रासंगिक कानून के पारित होने के अधीन है

कृपया देय दरों और सरकारी किराए की राशि का अनुमान लगाने के लिए RVD की वेबसाइट (www.rvd.gov.hk) पर दिए गए "दर और सरकारी किराया कैलकुलेटर" का उपयोग कर।

वि वष 2024-2025 के लिए दरों म र यायत

अप्रैल से जून 2024 तक पहली तिमाही के लिए देय दरों की भरपाई के लिए दरों म रियायत दी जाएगी, प्रत्येक दर योग्य आवास के लिए \$1,000 की सीमा के अधीन। तिमाही के एक हिस्से के लिए दरों के लिए उत्तरदायी संपत्तियों के लिए, रियायत को संबंधित तिमाही म उस आंशिक अवधि के अनुपात म समायोजित किया जाएगा। अगली तीन तिमाहियों के लिए कोई दर र यायत नहीं दी जाएगी।

मूल्यांकन सूची और सरकारी किराये के रोल का दशन

नई मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 18 माच 2024 से 31 मई 2024 तक कायालय समय के दौरान Rating and Valuation Department, 15th Floor, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon म निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। इस अवधि के दौरान, जनता के सद मूल्यांकन सूची और सरकारी किराया रोल का निरी ण करने के लिए विभाग की वेबसाइट (www.rvd.gov.hk) या विभाग की संपत्ति सूचना ऑनलाइन वेबसाइट (www.rvdpi.gov.hk) पर भी जा सकते ह।

जल र यायत

जहां सरकारी जल-मु से ताजे पानी की आपूर्ति नहीं होती है या सरकारी आपूर्ति बिना फ़िल्टर की जाती है, वहां देय दरों की राशि मशः 15% और 7.5% कम हो जाएगी। रेटिंग उद्देश्य के लिए, आपूर्ति तब उपलब्ध मानी जाती है जब कोई टेनमट, टेनमट को ताज़ा/बिना फ़िल्टर किए पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाए गए सरकारी जल-मु के 180 मीटर के भीतर हो, भले ही वास्तव म कनेक्शन न बनाया गया हो।